बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

आयात फॉर्म के पेटे अग्रिम विप्रेषण

(काली स्याही वाली पेन का उपयोग करके बड़े अक्षरों में आवेदक द्वारा भरा जाना है)

शाखा का नाम:
दिनांक:

हम निम्नलिखित कमोडिटी/ सामग्री का आयात करेंगे और आपसे अनुरोध करते हैं कि निम्नलिखित विवरणों के अनुसार निधियों को विप्रेषित करें:

कमोडिटी:		एचएस कोड:	
विप्रेषण के उद्देश्य:			
विप्रेषण की राशि एवं करेंसी:		मूल्यन तारीख:	
विदेशी बैंक के प्रभार:	☐ साझेदारी ☐ अपना खाता	सामग्री के प्रकार:	☐ पूंजीगत ☐ गैर पूंजीगत
आवेदक (कंपनी/ संस्था का नाम एवं पता)		**लाभार्थी (कंपनी/ संस्था का नाम एवं पता)**	
मोबाइल:		मोबाइल:	
संपर्क व्यक्ति:		संपर्क व्यक्ति:	
ई-मेल:		ई-मेल:	

लाभार्थी बैंक (नाम एवं पता)		**संव्यवहार के विविध विवरण**	
		लोडिंग का पोर्ट:	
		डिस्चार्ज का पोर्ट:	
		मूल देश:	
लाभार्थी बैंक का खाता या आईबीएएन संख्या:		यदि इसी इन्वाइस के तहत आंशिक भुगतान किया गया है तो, कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:	
बीएसबी सं/ सॉर्ट कोड/ एबीए/ रूटिंग संख्या:		बैंक की संदर्भ संख्या	
		करेंसी एवं राशि	
लाभार्थी बैंक का स्विफ्ट कोड:		विप्रेषण की तारीख	

प्रतिनिधि / मध्यवर्ती बैंक (नाम एवं पता)	
प्रतिनिधि/ मध्यवर्ती बैंक का स्विफ्ट कोड	

बैंक खाते को डेबिट करने के लिए प्राधिकरण

खाता का प्रकार	खाता संख्या	करेंसी	राशि
☐ ईईएफसी/ आरएफसी/ डीडीए			
☐ सीए/ सीसी/ ओडी			

प्रभारों को डेबिट करने के लिए प्राधिकरण (यदि उक्त खाते से अलग हो)

☐ सीए/ सीसी/ ओडी			

वायदा संविदा के विवरण, यदि बुक की गई है:

वायदा संविदा संख्या:		दिनांक:	
वायदा संविदा राशि:		संविदा की देय तारीख:	
विप्रेषण के लिए उपयोग की जाने वाली राशि:			

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करती हूं कि उक्त उल्लिखित सभी सूचना सही है.

दिनांक

कंपनी/ फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:	

✂ -- यहां से फाड़े --

-: पावती (ग्राहक द्वारा सुरक्षित रखा जाने वाला):-

एम/एस ---से ----------------------को -----------------एम/पीएम पर राशि ------------------के लिए-- टीएफबीओ, गिफ्ट सिटी को पावती संख्या/ संदर्भ आईडी के माध्यम से आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत करने हेतु आवेदन ---(आवेदन का प्रकार) प्राप्त हुआ है.

दिनांक:______________

शाखा अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

आयात फॉर्म के पेटे अग्रिम विप्रेषण

सामान्य घोषणा

1. मैं/ हम इस बात की पुष्टि करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा आयात किया जा रहा माल आज की तारीख तक प्रचलित एवं संशोधित नवीनतम एक्जिम पॉलिसी के अध्याय ________ में उल्लिखित अनुसार आयात की नकारात्मक सूची में शामिल नहीं हैं और मैं/ हम वर्तमान निर्यात एवं आयात नीति के तहत उपरोक्त उल्लिखित माल को आयात करने का/ के पात्र हूं/ हैं. मैं/ हम पुष्टि करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि एतद्द्वारा/ हमारे द्वारा आयात/ आयात किया जा रहा माल उपरोक्त उल्लिखित नीति तथा संशोधनों के तहत विशिष्ट लाइसेंसिंग के माध्यम से आयात करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है. (आयात की नकारात्मक सूची के तहत आने वाले माल के मामले में यह खंड लागू नहीं है.)
2. मैं/ हम घोषणा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा को प्रविष्टि पत्र/ पोस्ट पार्सल रैपर (डाक द्वारा आयात के लिए)/ कुरियर प्रविष्ट पत्र (कुरियर के माध्यम से आयात के लिए)/ सीए प्रमाणपत्र (सेवा निर्यात के मामले में) पर कस्टम द्वारा स्टैंप की गई विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति विप्रेषण की तारीख से 90 दिनों के भीतर जमा करूंगा/ करूंगी/ करेंगे.
3. मैं/ हम घोषणा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि जिसके लिए विप्रेषण का अनुरोध किया है वह माल के आयात न होने की स्थिति में मैं/ हम भारत को विप्रेषित निधि रिफंड करने के लिए सख्ती से बात करूंगा/ करूंगी/ करेंगे.
4. इसके अतिरिक्त मैं/ हम घोषणा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि मैंने/ हमने किसी भी अन्य एडी बैंक के माध्यम से एक ही इनवॉइस/ संविदा के पेटे भुगतान नहीं किया है.
5. मैं/ हम स्वीकार करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि बैंक को प्रोसेस करने के लिए आवेदन जमा करने के बाद खाते में अपर्याप्त/ असमाशोधित शेष के कारण मेरे/ हमारे खाते से समय पर संव्यवहार कार्यान्वित/ डेबिट न होने की स्थिति में तथा फोरेक्स डील के रिवर्सल के कारण इस संबंध में मेरे/ हमारे खाते में संव्यवहार को कार्यान्वित करने के दौरान कोई भी विनियम हानि होती है तो, इस स्थिति में मेरे/ हमारे बैंक ऑफ़ बड़ौदा खाते से प्रभारित किया जा सकता है.
6. मैं/ हम स्वीकार करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि बैंक को प्रोसेस करने के लिए आवेदन जमा करने के बाद मेरे/ हमारे द्वारा संव्यवहार निरस्त या वापस लेने की स्थिति में हुए कोई भी विनियम हानि को मेरे/ हमारे बैंक ऑफ़ बड़ौदा खाते से प्रभारित किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त मैं/ हम यह भी स्वीकार करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि एक बार मेरे/ हमारे द्वारा निधि अंतरित करने के बाद तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रतिनिधि और/ या लाभार्थी बैंक को विप्रेषित करने के बाद, बैंक ऑफ़ बड़ौदा प्रतिनिधि और/ या लाभार्थी बैंकों द्वारा ऐसी निधियों को रोके रखने के साथ-साथ ऐसे निधियों के संवितरण में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. इसके अतिरिक्त मैं/ हम स्वीकार करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि एक बार मेरे/ हमारे द्वारा निधि अंतरित करने के बाद तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रेषित करने के बाद, मध्यस्थता बैंक प्रभार प्रतिनिधि और/ या लाभार्थी बैंक द्वारा उगाही किया जा सकता है, जोकि बैंक दर बैंक भिन्न हो सकता है.
7. मैं/ हम स्वीकार करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा जमा की गई सूचना के गलत होने के कारण लाभार्थी बैंक द्वारा संव्यवहार के अस्वीकार करने के मामले में लाभार्थी बैंक द्वारा लगाया गया कोई भी प्रभार या इस संबंध में हुए किसी भी विनियम हानि को मेरे/ हमारे बैंक ऑफ़ बड़ौदा खाते से प्रभारित किया जा सकता है.
8. मैं/ हम यह भी स्वीकार करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि विनियम दर डील बुकिंग के समय लागू होगी तथा यह दर आवेदन जमा करते समय प्रचलित दर से भिन्न हो सकती है. मैं/ हम यह भी समझते हैं कि मुझे/ हमें बताए गए दर (यदि कोई हो) एक सांकेतिक दर है और वास्तविक दर उससे भिन्न हो सकती है.
9. मैं/ हम यह भी घोषणा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि संव्यवहार का विशेष रूप से नामित राष्ट्रों और अवरुद्ध व्यक्ति (एसडीएन) तथा ओएएफसी/ संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधों के तहत सूचीबद्ध देशों के साथ किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं है. मैं/ हम वचन देता हूं/ देती हूं/ देते हैं कि ओएफएसी से जुड़े/ संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत संव्यवहार के संबंध में अपनी किसी भी कार्रवाई या निष्क्रियता के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा.
10. मर्चेंटिंग ट्रेड संव्यवहार के मामले में, मैं/ हम वचन देता हूं/ देती हूं/ देते हैं कि 270 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर निर्यात एवं आयात के कार्यों को पूरा करूंगा/ करूंगी/ करेंगे और यह भी घोषणा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि निधियों का परिव्यय 4 महीने से अधिक नहीं होगा और यह बिना किसी वित्तीय हानि के होगा. मैं/ हम यह भी वचन देता हूं/ देती हूं/ देते हैं कि मर्चेंटिंग ट्रेड संव्यवहार के दोनों कार्यों को केवल बैंक ऑफ़ बड़ौदा के माध्यम से ही किया जाएगा.

फेमा तहत घोषणा

(विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(15) के तहत, अध्याय III)

मैं/ हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि यह संव्यवहार, जिसका विवरण विशेष रूप से इस पत्र में उल्लिखित है, यह किसी भी नियम, विनियमन, अधिसूचना, इसके तहत बनाए गए दिशानिर्देश या निदेश के पूर्वोक्त अधिनियन के प्रावधानों का उल्लंघन या परिहार करने में शामिल नहीं है और न ही इसे ऐसे किसी उद्देश्यों के लिए बनाया गया है.
मैं/ हम इसकी सूचना/ दस्तावेज देना भी स्वीकार करता हूं/ करती हूं/ करते हैं एवं वचन देता हूं/ देती हूं/ देते हैं ताकि उपरोक्त घोषणा के संदर्भ में इस संव्यवहार के लिए आपको यथोचित संतुष्ट कर सकें.
मैं/ हम यह भी वचन देता हूं/ देती हूं/ देते हैं कि यदि मैं/ हम ऐसी किसी भी आवश्यकता का अनुपालन करने से इंकार करता हूं/ करती हूं/ करते हैं, तो बैंक संव्यवहार करने के लिए लिखित रूप में मना कर देगा और यदि मेरे/ हमारे द्वारा अपेक्षित किसी भी उल्लंघन या परिहार करने पर विश्वास करने के लिए कारण होने पर इस मामले की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को करेगा.
इसके अतिरिक्त मैं/ हम घोषणा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि फर्म/ कंपनी की ओर से अधोहस्ताक्षरी के पास इसकी घोषणा करने एवं वचन देने का प्राधिकार है.

दिनांक	दि	दि	म	म	व	व	व	व

कंपनी/ फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:	

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा

आयात फॉर्म के पेटे अग्रिम विप्रेषण

संलग्न किए गए दस्तावेज (जो संबद्ध हैं, उस पर टिक करें) — **प्राप्त किए गए दस्तावेज (केवल कार्यालय के उपयोग हेतु)**

- ❑ क्रेता एवं विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित एवं स्टैम्प किया गया इनवॉइस एवं संविदा प्रोफॉर्मा ☐
- ❑ निम्नलिखित मामलों में किसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैंक की जो बैंक को स्वीकार्य हो एवं भारत के बाहर स्थित हो, उससे बिना शर्त की, अप्रतिसंहरणीय एसबीएलसी/ गारंटी या भारत में किसी एडी श्रेणी - 1 बैंक से गारंटी, भारत के बाहर स्थित किसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैंक की प्रति-गारंटी के पेटे जारी की गई हो: ☐
  - ❑ माल के आयात के लिए यदि आवेदन यूएसडी 200,000/- से अधिक या उसके बराबर के लिए है. ☐
  - ❑ माल के आयात के लिए यदि आवेदन यूएसडी 500,000/- से अधिक या उसके बराबर के लिए है. ☐
- ❑ नकारात्मक सूचीबद्ध माल के आयात के मूल वैद्य लाइसेंस ☐
- ❑ आयातकर्ता का डीजीएफटी द्वारा जारी आईईसी प्रमाणपत्र की प्रति ☐
- ❑ अपरिष्कृत हीरे के आयात के लिए, आयातकर्ता का एसएसआई प्रमाणपत्र ☐
- ❑ एविएशन (विमानन) - संबंधित खरीद की आयात के लिए, अनुसूचित या गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं परिचालित करने के लिए डीजीसीए से अनुमति का प्रमाणपत्र ☐
- ❑ अन्य दस्तावेज यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट करें) ☐

* आवश्यक दस्तावेज